LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक- 21.03.2024

ललितपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में अभियुक्त को करायी आजीवन कारावास की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय श्री मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो के अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्त रामसिंह पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा नि0ग्राम मैरतीकलां थाना जाखलौन जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना जाखलौन में मु0अ0सं0 399/15 धारा 302/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना जाखलौन पुलिस एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 21.03.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट जनपद ललितपुर द्वारा अभियुक्त रामसिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।